

167 B
29-10-21

APP-A
crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

2021
481

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

अज अदालत

नियम

मुकेश कुमार

बनाम

सकसिंह

किस्म मुकदमा

पुस 88 27A

नं.

188A

सन्.

2021


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---


29/11/21

वाहीगल स्वयं ने वाद पक्ष प्रेश कर निवेदन किया गया कि मौजा चान्देसरा के खान के 117 की अर्क आई आई है. वाद गल आराजी के वादी के पिता का नाम मल दर्ज है. कि कल सरकारी दरखोश के वादी के पिता का नाम उदयसिंह है/ जिसे हुकली कराने का निवेदन किया गया वाद दर्ज रजिस्टर हो उदियाजी ने हुकली जवाबदावा प्रेश किया गया

मुकेश कुमार


सकसिंह


चान्देसरा
ग्राम पंचायत चान्देसरा
पं.स. बालोतरा (बाड़मेर)



श्रीमान सिंह
पुखीराज सिंह
वाहीगल

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

रहस्यीय पंचपदर से मजमे आत
में जांच कराई गई, रहस्यीय
पंचपदर के वाहीगा के वहीगा
मला के स्थान पर उदमखिंट करके
की अनुक्रमा की।

वाहीगा के वात के खीका
कर मोजा चाबेसरा के खान सं. 117

दस्ता 15.05 बीला में वाहीगा मुखेश
कुमार, पृथ्वीराज के निता का नाम मला
के स्थान पर उदमखिंट जोखित किया

जाता है, रहस्यीय, पंचपदर तदागत
राजस्थान रेकॉर्ड में शामिल करा करे

निर्दिष्ट आत सं. 29.10.2021 को
मजमे आत के दुनाता गीला


(महेश चोनी)
सहायक कलेक्टर
(SDO) बालोत्तर

न्यायालय उपखण्ड
(पीठासीन)
पीठासीन अधिकारी

दावा
मुक्त

नम्बर का
अहकाम जो
तासील में

188A
2021

प्रपत्र-5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

2021
188A

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बालोतरा...
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- श्री नरेश सोनी (RAS)

वादी

प्रतिवादी गण

- 1) मुकेश कुमार पुत्र उदयसिंह उनवान
- 2) पुष्पराज सिंह पुत्र उदयसिंह बनाम
- 1) सकसिंह पुत्र उमद सिंह
- 2) बाबूसिंह पुत्र सुजानसिंह
- 3) तहसीलदार पंचपर

दावा बाबत V/s 88 RPA

मुकदमा नम्बर :-

निर्णय दिनांक :- 29/10/2021

वादी की ओर से मुकेश कुमार व पुष्पराज की व प्रतिवादी की ओर से सकसिंह व बाबूसिंह व उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29/10/2021 को श्री नरेश सोनी (पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - वादी के वाद को स्वीकार कर मौजा चांदेसरा

के खाला संख्या 117 खता 15-05 बीघा वाद अस्त साराज्जी में वादी के पक्ष में मला के स्थान पर मुकेश कुमार, पुष्पराज सिंह व पिं. उदयसिंह घोषित किया जाता है। तहसीलदार पंचपर पदानुसार राजस्व रेकॉर्ड अमल कराए जायें।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

(नरेश सोनी)
(नरेश सोनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,...